

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 12.04.2017

सीबीआई ने बैंक को 2240 करोड़ रू. (लगभग) की कथित हानि पहुँचाने के मामलों की जारी जाँच में दिल्ली की प्राइवेट फर्म के निदेशकों सहित चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने बैंक संघ के सदस्यों को 2240 करोड़ रू. (लगभग) की कथित हानि पहुँचाने पर पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर दर्ज मामलों की जारी जाँच में दिल्ली की प्राइवेट फर्म के निदेशकों एवं अन्योँ सहित चार आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

जाँच में ऐसा आरोप था कि आरोपी व्यक्तियों ने कपटपूर्ण तरीके से बैंक धनराशि को राउण्ड ट्रिपिंग (Round Tripping) एवं अन्य मद में लगाने हेतु 100 की संख्या में नाम मात्र की कम्पनियों का प्रयोग किया। उक्त फर्म एवं नाम मात्र की कम्पनियों के मध्य कोई वास्तविक लेन-देन नहीं हुआ। उक्त फर्म ने भी कथित रूप से बैंको के संघ से प्राप्त कार्यशील पूंजी सीमा में से 376 करोड़ रू. (लगभग) को, सिंगापुर, हॉंगकॉंग, दुबई, इण्डोनेशिया, घासा एवं चीन स्थित 06 पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी सहायक कम्पनियों में लगाया। आगे की जाँच जारी है।

गिरफ्तार आरोपियों को सी.एम.एम., पटियाला हाऊस कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष आज पेश किया जा रहा है।
